समाचार वाणी
ख़बर जो करें असर !

नाशिक | Wednesday, 30 September 2026

SIR विवाद पर सुप्रीम कोर्ट की बड़ी सुनवाई 11 नवंबर को, चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ याचिकाओं पर होगी बहस

Publisher

Published on 07 Nov 2025

देशभर में चर्चित **SIR (Systematic Identification Record)** विवाद पर अब सुप्रीम कोर्ट में निर्णायक सुनवाई की तैयारी हो चुकी है। **11 नवंबर 2025** को भारत के सर्वोच्च न्यायालय में इस मामले की सुनवाई होगी। यह सुनवाई चुनाव आयोग के उस फैसले के खिलाफ दायर की गई याचिकाओं पर होगी, जिसमें आयोग ने SIR प्रणाली को चुनाव प्रक्रिया का हिस्सा बनाने की अनुमति दी थी। कई राजनीतिक दलों, सामाजिक संगठनों और नागरिक समूहों ने इस फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दाखिल की थीं।

सुप्रीम कोर्ट की तीन सदस्यीय बेंच ने इस मामले को "गंभीर संवैधानिक प्रश्न" मानते हुए सभी संबंधित याचिकाओं को एक साथ सूचीबद्ध किया है। बताया जा रहा है कि सुनवाई के दौरान कोर्ट यह तय करेगा कि क्या चुनाव आयोग को ऐसे तकनीकी और डेटा-आधारित सिस्टम लागू करने का संवैधानिक अधिकार है, जो नागरिकों की गोपनीयता या मतदान प्रक्रिया को प्रभावित कर सकता है।

SIR यानी **Systematic Identification Record** एक डेटा-आधारित तकनीक है, जिसे चुनाव आयोग ने मतदाता पहचान और सत्यापन को अधिक सटीक बनाने के लिए शुरू किया है। इस सिस्टम के तहत प्रत्येक मतदाता का डेटा — जिसमें उनकी पहचान, स्थान और मतदान पैटर्न जैसी जानकारियां शामिल हैं — डिजिटल रूप से संग्रहित की जाती हैं। आयोग का दावा है कि इससे फर्जी वोटिंग और डुप्लीकेट मतदाता पहचान पत्रों की समस्या खत्म होगी।

लेकिन विपक्षी दलों और नागरिक अधिकार संगठनों का कहना है कि SIR प्रणाली **मतदाता की गोपनीयता का उल्लंघन** करती है और इसका दुरुपयोग राजनीतिक या प्रशासनिक स्तर पर किया जा सकता है। इन्हीं आरोपों को लेकर अब मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा है।

चुनाव आयोग ने अपनी दलील में कहा है कि SIR सिस्टम से चुनाव प्रक्रिया और पारदर्शी बनेगी। आयोग का कहना है कि यह सिस्टम केवल मतदाता पहचान की सटीकता बढ़ाने के लिए है, न कि निगरानी या डेटा ट्रैकिंग के लिए। आयोग ने बताया कि SIR डेटा पूरी तरह से एन्क्रिप्टेड (Encrypted) है और इसका इस्तेमाल केवल अधिकृत अधिकारियों द्वारा ही किया जा सकता है।

दूसरी ओर, याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि चुनाव आयोग को इस तरह का सिस्टम लागू करने से पहले संसद की मंजूरी लेनी चाहिए थी, क्योंकि यह नागरिकों की निजता (Privacy) के अधिकार से जुड़ा हुआ मामला है। याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया है कि वह SIR के कार्यान्वयन पर रोक लगाए, जब तक कि इसकी संवैधानिक वैधता पर फैसला न आ जाए।

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने प्रारंभिक सुनवाई में कहा था कि “लोकतंत्र में पारदर्शिता जरूरी है, लेकिन पारदर्शिता के नाम पर निजता का अतिक्रमण नहीं हो सकता।” अदालत ने इस बात पर चिंता जताई थी कि यदि SIR जैसी तकनीक का गलत इस्तेमाल हुआ, तो यह मतदाता की गोपनीयता को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकती है।

11 नवंबर की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट यह तय कर सकता है कि क्या SIR सिस्टम पर अस्थायी रोक लगाई जाए या इसे चुनाव आयोग के दिशा-निर्देशों के तहत जारी रहने दिया जाए। मामले की गंभीरता को देखते हुए संभावना जताई जा रही है कि कोर्ट इसमें एक संविधान पीठ (Constitution Bench) के गठन की सिफारिश भी कर सकता है।

देशभर की निगाहें अब इस सुनवाई पर टिकी हुई हैं, क्योंकि यह मामला न केवल चुनावी व्यवस्था बल्कि नागरिकों के डिजिटल अधिकारों से भी सीधे तौर पर जुड़ा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आगे चलकर चुनावी पारदर्शिता और डेटा प्रोटेक्शन कानूनों को नया दिशा देगा।

SIR को लेकर देशभर में बहस छिड़ी हुई है। कुछ विशेषज्ञ इसे “आधुनिक तकनीक के युग में पारदर्शिता की दिशा में कदम” मानते हैं, जबकि अन्य इसे “डेटा मॉनिटरिंग का नया रूप” बता रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी यह मुद्दा लगातार ट्रेंड कर रहा है, जहां लोग लोकतंत्र और निजता के बीच संतुलन की जरूरत पर चर्चा कर रहे हैं।

अब सबकी नजरें 11 नवंबर पर हैं, जब सुप्रीम कोर्ट इस अहम मामले की सुनवाई करेगा। इस दिन यह तय हो सकता है कि SIR भारत की चुनावी प्रक्रिया में क्रांतिकारी बदलाव लाएगा या फिर इसे संवैधानिक सीमाओं के चलते रोक दिया जाएगा।

DISCLAIMER: the views/contents expressed/presented herein, within this advertorial and promotional feature are the sole and exclusive responsibility of individual clients/expert/their authorised representative/Publisher, to which effect, publication house/its representative/affiliates are not responsible/liable whatsover.